

28/12/23

आखिरता गण हस्तास में होने के कारण
पत्रावली आईना विलोम 13/1/23 को पेश की

13/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची डपण विधायी गण
के नोटिस लामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई
उप० नहीं हुआ है। उनके सिद्ध एक तरफ का रजिस्ट्री
अमल में लाई जाती है। आर्ची वकील ने पदस
पुनर्ने का निर्णय किया वकील आर्ची की पदस
दुबली गई। पदस पर मतन किया। पत्रावली का
अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात
उत्ती होता है कि आर्ची वकील का अर्थना पर
द्वीगार करने योग्य है है। नेयमबंधी निर्णय
अमल से तिखा जाकर शामिल मिलत्य किया गया।
पत्रावली फूलन शुमार होकर दाखिल पत्रावली से
लेख्या से कम है।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. दोसूखां पुत्र नसीरखां जाति मुसलमान निवासी मीठे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	विप्रार्थीगण 1. मलूका पुत्र आचार 2. हकीम पुत्र आचार 3. वली पुत्र दीना 4. सरीफ पुत्र माहबत 5. एलियास पुत्र माहबत 6. मोराली पुत्री जामीलखां 7. अली मोहम्मद पुत्र सोबदार 8. मीठा पुत्र मीरखां 9. मोहम्मद पुत्र मीरण 10. रहमान पुत्र दीना 11. रहीम पुत्र दीना जाति मुसलमान निवासी मीठे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
---	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
 राजस्व आवेदन संख्या 135/2021


दिनांक : 13/5/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र मीठे का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा मीठे का तला के खेत खसरा संख्या 404/143 रकबा 31.187 बीघा, खसरा संख्या 565/66 रकबा 77.08 बीघा खसरा संख्या 568/168 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।





 (रामजी भाई कलबाजरी)
 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 दिनांक 17/5/23

क्रमांक/भू.अ./2023/ 822-825

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी दोसूखां पुत्र नसीरखां वगैरा
3. विप्रार्थीगण. मलूका पुत्र आचार वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।


 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 135/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

दोसूखां वगैरा बनाम मलूका वगैरा
पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री मोहनसिंह सोढा

निर्णय

दिनांक - 13/4/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र मीठे का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा मीठे का तला के खेत खसरा संख्या 404/143 रकबा 31.187 बीघा, खसरा संख्या 565/66 रकबा 77.08 बीघा खसरा संख्या 568/168 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र मीठे का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा मीठे का तला के खेत खसरा संख्या 404/143 रकबा 31.187 बीघा, खसरा संख्या 565/66 रकबा 77.08 बीघा खसरा संख्या 568/168 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रुबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांकको न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

13-4-23

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा